कार्यालय – मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जयपुर महानगर प्रथम

क्रमांकः– 2259 दिनाकः– 27/10/2026

आदेश

इस कार्यालय के **आदेश क्रमांक 2139 दिनांक 08.10.2026** के द्वारा **माह नवम्बर, 2026** में **दिनांक 01.11.2026** को राजकीय अवकाश के दिन **जयपुर महानगर प्रथम न्यायक्षेत्र** की सीमा में **सांगानेर व चाकसू मुख्यालय** पर उत्पन्न होने वाले आवश्यक फौजदारी कार्यो से सम्बन्धित मामलों की सुनवाई करने हेतु जयपुर महानगर प्रथम न्यायक्षेत्र के सांगानेर मुख्यालय पर स्थित न्यायालय, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम–18 (सांगानेर), जयपुर महानगर प्रथम की पीठासीन अधिकारी को अधिकृत किया गया था।

प्रशासनिक कारणवश, उक्त आदेश को इस आदेश की सीमा तक अतिलंघित करते हुए **दिनांक 01.11.2026** को **सांगानेर/चाकसू मुख्यालय** का आवश्यक फौजदारी कार्य करने हेतु न्यायालय, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम–18, सांगानेर, जयपुर महानगर प्रथम के पीठासीन अधिकारी **के स्थान पर न्यायालय, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम–13, सांगानेर, जयपुर महानगर प्रथम की पीठासीन अधिकारी (सुश्री/श्रीमती) ममता गुप्ता, आर.जे.एस.,** को अधिकृत किया जाता है।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जयपुर महानगर प्रथम।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित हैः–

क्रमांकः– 2260 to 2267 दिनाकः– 27/10/2026

1. माननीय जिला एवं सैशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर प्रथम को प्रतिलिपि प्रेषित कर निवेदन है कि यदि सम्बन्धित अधिकारी को उक्त अवकाश दिवस का मुख्यालय परित्याग की अनुमति प्रदान की गई हो तो कृपया उसे निरस्त करने की कृपा करें।
2. सहायक निदेशक, अभियोजन, प्रथम, जयपुर महानगर।
3. दी बार एसोसियेशन, बनीपार्क/सांगानेर, जयपुर।
4. न्यायालय, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम–13/18, सांगानेर, जयपुर महानगर प्रथम।
5. पुलिस कण्ट्रोल रूम, जयपुर महानगर को प्रतिलिपि भेज कर लेख है कि समस्त आरक्षी केन्द्रों को सूचित किया जावे।
6. आदेश पत्रावली/कार्यालय प्रति।
7. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय, जयपुर महानगर प्रथम को प्रतिलिपि प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश से सम्बन्धित अधिकारीगण/कर्मचारीगण/पुलिस विभाग के अधिकारीगण/समस्त आरक्षी केन्द्र, जयपुर महानगर आदि सभी को ई–मेल/मैसेज के द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी के सम्बन्ध में सूचित कर इस कार्यालय को सूचित करें।
8. वरिष्ठ लिपिक, जिला न्यायालय, जयपुर महानगर प्रथम।

27/10/26

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जयपुर महानगर प्रथम।